बीसीसी:बीआर:114:366 दिनांक: 01.06.2022

**भारत में स्थित सभी शाखाओं / कार्यालयों के लिए परिपत्र**

**एमएसएमई बैंकिंग विभाग द्वारा जारी**

प्रिय महोदय/महोदया,

हम परिपत्र सं. बीसीसी:बीआर:111:454 दिनांक 20.09.2019 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से जेडईडी प्रमाणित इकाइयों के लिए रियायती लाभ की शुरूआत की गई थी.

जेडईडी योजना का क्रियान्वयन और इसकी निगरानी **भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई)** द्वारा की जा रही है जोकि एक स्वायत्त निकाय है, जिसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है. अब, क्यूसीआई ने जेडईडी मूल्यांकन मॉडल को संशोधित किया है. इसके आधार पर, सीपीसी ने दिनांक 28.09.2021 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा संख्या A-21 के माध्यम से जेडईडी प्रमाणित इकाइयों के लाभों में निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदित किया है -

<table>
<tr><th colspan="2">मौजूदा दिशानिर्देश</th><th colspan="2">प्रस्तावित संशोधन</th></tr>
<tr><td colspan="2">पुराने जेडईडी मूल्यांकन मॉडल में 5 स्तर थे अर्थात् ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम.<br><br>सबसे न्यूनतम रेटिंग ब्रोंज और सबसे उच्चतम रेटिंग प्लैटिनम थी.<br><br>इसके आधार पर, जेडईडी प्रमाणित इकाइयों को दिए जा रहे मौजूदा रियायती लाभ इस प्रकार हैं:</td><td colspan="2">संशोधित जेडईडी मूल्यांकन मॉडल में केवल 3 स्तर हैं अर्थात् ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड.<br><br>अब, पूर्व की भांति ब्रोंज सबसे न्यूनतम रेटिंग और सबसे उच्चतम रेटिंग गोल्ड है.<br><br>अब, जेडईडी प्रमाणित इकाइयों के लिए संशोधित लाभ निम्नानुसार हैं:</td></tr>
<tr><td>जेडईडी रेटिंग</td><td>पात्र रियायत</td><td>जेडईडी रेटिंग</td><td>पात्र रियायत</td></tr>
<tr><td>गोल्ड</td><td>प्रसंस्करण प्रभारों में 25% की रियायत</td><td>ब्रोंज़</td><td>प्रसंस्करण प्रभारों में 25% की रियायत</td></tr>
<tr><td>डायमंड और प्लैटिनम</td><td>प्रसंस्करण प्रभारों में 25% की रियायत और ब्याज दर में 25 बीपीएस की रियायत जो BRLLR / MCLR + SP से कम न हो</td><td>सिल्वर व गोल्ड</td><td>(प्रसंस्करण प्रभारों में 25% की रियायत और ब्याज दर में 25 बीपीएस की रियायत)<br>बशर्ते लागू ब्याज दर BRLLR / MCLR + SP से कम न हो.</td></tr>
</table>

क्यूसीआई ने उद्यम पंजीकृत और जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई इकाइयों के लिए उपलब्ध लाभों को भी संशोधित किया है जो निम्नानुसार हैं-

- जेडईडी प्लेज लेने के लिए **रू. 10,000/- का एक सीमित उपयोग** वाला जॉइनिंग रिवार्ड जो प्लेज लेने के बाद 1 वर्ष के लिए वैध है.
- **प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी:** सूक्ष्म उद्यम: 80%, लघु उद्यम: 60% और मध्यम उद्यम 50%.

महिलाओं/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व में संचालित एमएसएमई या पूर्वोत्तर क्षेत्र/ हिमालयन/ एलडब्ल्यूई/ द्वीप क्षेत्रों/ आकांक्षी जिलों में एमएसएमई के लिए 10% की अतिरिक्त सब्सिडी.

उपर्युक्त के अलावा, जो एमएसएमई मंत्रालय के SFURTI या सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) का हिस्सा हैं, उन एमएसएमई के लिए 5% की अतिरिक्त सब्सिडी भी होगी.

- **परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली, उत्पाद प्रमाणन के लिए सब्सिडी :** सब्सिडी परीक्षण/ प्रणाली/ उत्पाद प्रमाणन की कुल लागत का 75% होगी, सब्सिडी की अधिकतम सीमा रू. 50,000/- है.

- **परामर्श के माध्यम से प्रति एमएसएमई 5 लाख रुपये की हैंडहोल्डिंग सहायता:**
  - ✓ परामर्शी संगठन के माध्यम से हैंडहोल्डिंग सहायता (आवश्यकतानुसार) हेतु रू. 2 लाख तक.
  - ✓ परामर्शदाता की सिफारिश प्राप्त करने, संबंधित एमएसएमई-विकास संस्थान द्वारा सत्यापन और परियोजना निगरानी और सलाहकार समिति (पीएमएसी) द्वारा अनुमोदन के बाद शून्य प्रभाव समाधान/ प्रदूषण नियंत्रण उपायों / क्लीनर प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ने के लिए तकनीकी उन्नयन हेतु रू. 3 लाख तक की सहायता.

**योजना की वैधता:** जेडईडी योजना के तहत वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और लाभ 31 मार्च, 2026 तक वैध हैं और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अद्यतन के अधीन हैं.

एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विस्तृत जेडईडी योजना संलग्न है.

अंचलों/ क्षेत्रों/ शाखाओं को सूचित किया जाता है कि वे इस योजना के लाभों से संबंधित जानकारी का प्रचार-प्रसार करें और एमएसएमई को जेडईडी रेटिंग प्राप्त करने और लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें.

भवदीय,

**हस्ता/-**
**ध्रुबाशीश भट्टाचार्य**
**प्रमुख, एमएसएमई बैंकिंग**

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

BCC:BR:114: 366 Date: 01.06.2022

## CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

## ISSUED BY MSME BANKING DEPARTMENT

Dear Sir / Madam, Reg: Revision in ZED Scheme

We refer to circular no. BCC:BR:111:454 dated 20.09.2019 wherein concessional benefits to ZED certified units was introduced.

The ZED scheme is implemented and monitored by ***Quality Council of India (QCI)***, an autonomous body, setup by Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. Now, QCI have revised the ZED Assessment Model. Based on this, the CPC, during its meeting dated 28.09.2021, approved the following revision in the benefits to ZED certified units, vide agenda no. A-21:

<table>
<tr><th>Existing Guidelines</th><th>Proposed Modifications</th></tr>
<tr><td>The old ZED Assessment Model had 5 levels namely:<br>Bronze, Silver, Gold, Diamond and Platinum.<br>The Bronze was lowest rating and Platinum was the highest rating.<br><br>Based on this, the existing concessional benefits offered to ZED certified units are:
<table>
<tr><th>ZED Rating</th><th>Eligible Concession</th></tr>
<tr><td>Gold</td><td>25% concession in processing charges</td></tr>
<tr><td>Diamond & Platinum</td><td>25% concession in processing charges and<br>25 bps interest rate concession not below BRLLR/MCLR+SP</td></tr>
</table>
</td><td>The Revised ZED Assessment Model have only 3 levels namely:<br>Bronze, Silver & Gold.<br>Now, the Bronze continues to be lowest rating and Gold is the new highest rating.<br><br>Now, the revised benefits for ZED certified units, is as below:
<table>
<tr><th>ZED Rating</th><th>Eligible Concession</th></tr>
<tr><td>Bronze</td><td>25% concession in processing charges</td></tr>
<tr><td>Silver & Gold</td><td>(25% concession in Processing Charges and ROI concession of 25 bps)<br><br>Subject to, applicable ROI is not below than BRLLR / MCLR+SP</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

The QCI have also revised the benefits available to UDYAM registered & ZED certified MSME units, which are as below:

- **A limited purpose joining reward of Rs. 10,000/-** for taking ZED Pledge which is valid for 1 year after taking the pledge.
- **Subsidy on Cost of Certification**: Micro enterprise : 80%, Small enterprise: 60% and Medium enterprise : 50%

एमएसएमई बैंकिंग विभाग ,बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर ,सी ,26-जी-ब्लॉक ,बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ,मुंबई ,400051 भारत.
**MSME Banking Department,** Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051, India.
Ph: 91 22 66985822, Fax: 91 22 26521896, 26524503 E-Mail: sme.bcc@bankofbaroda.com Web: www.bankofbaroda.com

Additional Subsidy of 10% to MSMEs owned by Women / SC / ST entrepreneurs OR MSMEs in NER / Himalayan / LWE/ Island territories / aspirational districts.
In addition to above, there will be an additional subsidy of 5% for MSMEs which are also part of the SFURTI OR Micro & Small Enterprises – Cluster Development Programme (MSE-CDP) of the Ministry of MSME.

- **Subsidy for Testing, Management System, product Certification**: The subsidy will be 75% of the total cost of testing / System / product certification, with the maximum ceiling of subsidy being Rs. 50,000/-.

- **Handholding support of Rs. 5 lacs per MSME through Consultancy**:
  - ✓ Up to Rs. 2 lacs for handholding support (as needed) through consulting organisation
  - ✓ Up to Rs. 3 lacs for technological upgradation for moving towards zero effect solutions / pollution control measures / cleaner technology, after obtaining recommendation of Consultant, verification by respective MSME-Development Institute and approval by Project Monitoring & Advisory Committee (PMAC).

**Scheme Validity:** The financial support, incentives and benefits under ZED scheme is valid till March 31, 2026 and as updated from time to time by Ministry of MSME.

The detailed ZED scheme as launched by the Ministry of MSME is enclosed.

The Zones / Regions / Branches are advised to disseminate the information related to benefits of this scheme and encourage the MSMEs to obtain ZED Rating and avail benefits.

Yours faithfully,

**Dhrubashish Bhattacharya**
**Head, MSME Banking**

MSME BANKING DEPT. BCC Mumbai BANK OF BARODA